

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 1024/1246/2014/26-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2-08-2014

- १- संभागीय आयुक्त(समस्त)
- २- समस्त कलेक्टर
- ३- मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)
- ४- संयुक्त संचालक/ उप संचालक (समस्त)
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
- ५- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
- ६- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय:- निःशक्तता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों के लिए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण जिम्मेदारी) अधिनियम, १९९५ प्रभावशील है। निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा, नियोजन और उनके लिए सकारात्मक कार्यवाही करने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम / योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। समस्त शासकीय योजनाओं में निःशक्त व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके ४० प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता प्रमाण-पत्र हो।

२. प्रदेश में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत समग्र पोर्टल के माध्यम से हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राप्त हो रही सुविधा का लाभ सीधे उनके बैंक अकाउन्ट में जाना है, किन्तु यह देखने में आया है कि मध्यप्रदेश में निवास करने वाले निःशक्तजन जिनको समय पर निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुए हैं, वे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, निःशक्त पेंशन योजना, निःशक्त छात्रवृत्ति योजना, मानसिक/बहुविकलांग पेंशन आदि शासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लाभ से वंचित हैं, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे निःशक्तजनों को शासनकी योजना का लाभ पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि उनको निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी किया जावे।

३. प्रक्रिया का सरलीकरण:-

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, १९९५ के अन्तर्गत बने संशोधित नियम २०११ म.प्र. राजपत्र १५ सितम्बर, २०११ को अधिसूचित किये हैं, जिसके निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है। उक्त अधिसूचना की प्रति सभी जिलों को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।

निरंतर.....२/-

४. निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी :-

निःशक्तता प्रमाण-पत्रक मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किये जाते हैं। इसी संदर्भ में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक ४ जनवरी, २०१४ का अवलोकन करें, जिसकी प्रति जिलों को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है, इसमें प्रत्येक स्तर पर निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु कौन सा चिकित्सा प्राधिकारी सक्षम होगा, इसको स्पष्टतः प्रावधानित किया गया है। सहज संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

५. लोक सेवाओंके प्रदाय की गारंटी:-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, २०१० में निःशक्तता प्रमाण-पत्र को भी रखा गया है, जो निम्नानुसार है:-

सेवायें	आवेदन किसे देना है	काम की समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
निःशक्तता प्रमाण-पत्र	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	१५ कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	१५ कार्य दिवस	कलेक्टर

६. स्पर्श समग्र पोर्टल:-

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा अनुसार प्रदेश के समस्त निःशक्तजनों को निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी किये जाना है। यह प्रमाण-पत्र "स्पर्श समग्र पोर्टल" के माध्यम से जारी होंगे। "स्पर्श समग्र पोर्टल" एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है:-

स्पर्श समग्र पोर्टल (<http://sparsh.samagra.gov.in>)

जिन निःशक्तों को पूर्व में प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है, उनका चिन्हांकन एवं सत्यापन स्पर्श समग्र पोर्टल पर करने के साथ-साथ जिनको निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है। उनका प्रमाण-पत्रजारी कर स्पर्श पोर्टल पर अपलोड किया जावे।

७. हितग्राही सत्यापन:-

सत्यापन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी और जिन निःशक्तजनों को प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुए हैं, उनके लिए शिविर का आयोजन कर निःशक्तता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायें जायेंगे।

८. समग्र आई.डी. नम्बर:-

जिन निःशक्तजनोंको चिन्हांकन कर सत्यापित कर लिया है तथा जिनको नये निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उन निःशक्तजनों को समग्र सदस्य आई.डी. नम्बर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। यह नम्बर ९ अंकों का होगा। इस समग्र आई.डी. के माध्यम से संबंधित निःशक्त पोर्टल पर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकेगा तथा पात्रतानुसार शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

९. शिविरों का आयोजन:-

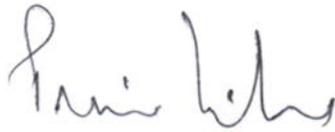
शेष बचे निःशक्तजनों को निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में निम्न कार्यवाही की जावे:-

- १ निःशक्तजनों को निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु स्पर्श अभियान का तृतीय चरण प्रारंभ किया जावे।
- २ जिला चिकित्सालय के परामर्श से शिविरों का आयोजन किया जावे।
- ३ शिविरों की तिथि एवं स्थान का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावे।
- ४ ग्रामीण क्षेत्र में निःशक्तजनों के चिन्हांकन के लिए ग्राम रोजगार सहायक/ग्राम पंचायत सचिव को जिम्मेदारी सौंपी जावे।
- ५ इसके पश्चात भी यदि संबंधितों के क्षेत्र में कोई निःशक्त बिना प्रमाण-पत्र के पाया जाता है तो उसकी जबाबदारी उन पर निर्धारित की जावे।
- ६ शहरी क्षेत्र के लिये वार्ड प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी जाये।
- ७ स्कूलों में भी विशेष शिविर लगाए जा सकते हैं।
- ८ शिविरों में विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी।
- ९ विशेष आवश्यकता वाले निःशक्तजनों हेतु यदि कहीं विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं तो उनको जिला/संभाग स्तर से भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
- १० निःशक्तों को निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की रहेगी, जो कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के परामर्श और मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।

१०. व्यय की प्रतिपूर्ति:-

शिविरों में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति जिले की निराश्रित निधि की ब्याज राशि से कलेक्टर को प्राप्त अधिकार के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

अतः आपके जिले में शतप्रतिशत निःशक्तजनों को निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही प्रारंभ करें तथा की गई कार्यवाही से अवगत करावें।



प्रमुख सचिव
म. प्र. शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग



अपर मुख्य सचिव
म. प्र. शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 जनवरी 2014—पौष 14, शक 1935

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. एफ-8-01-2013-सत्रह-मेडि-2.—निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खण्ड (त) के उपबंधों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सरकार, एतद्वारा, अधिनियम की धारा (2) के खण्ड (न) में यथा उल्लिखित निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित चिकित्सालयों तथा संस्थाओं को उसके कॉलम (2) में उल्लिखित प्रकार की निःशक्तता के लिए विनिर्दिष्ट करती है तथा यह भी निर्देशित करती है कि कॉलम (4) में यथा उल्लिखित चिकित्सालय/संस्था का चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा प्राधिकारी की ओर से निःशक्तता प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत होगा :—

सारणी

अनु- क्रमांक	निःशक्तता का प्रकार	कॉलम (2) में उल्लिखित निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए चिन्हित चिकित्सालय/संस्था	चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में चिन्हित चिकित्सा अधिकारी जो कॉलम (3) में उल्लिखित चिकित्सालयों/ संस्थाओं में निःशक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम होगा। (4)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रूपरी अंगों/निचले अंगों की स्थायी निःशक्तता.	जिला चिकित्सालय, सिविल चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल डिस्पेन्सरी.	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	अंधत्व	जिला चिकित्सालय/ सिविल चिकित्सालय जहां नेत्र रोग विशेषज्ञ हों/औषध में स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी तथा आवश्यक मापन/ निर्धारण/ मूल्यांकन की सुविधाएं हों.	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट नेत्र रोग विशेषज्ञ/नेत्र रोग में स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी.
3.	मानसिक निःशक्तता	जिला चिकित्सालय / सिविल चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	वयस्कों की दशा में मनोरोग विशेषज्ञ/मनोरोग में स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी. ऊपर उल्लिखित चिकित्सकों की अनुपलब्धता की दशा में औषध विशेषज्ञ/औषध में स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रभारी चिकित्सा अधिकारी. 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के मामलों में मनोरोग विशेषज्ञ/ मनोरोग में स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी. ऊपर उल्लिखित चिकित्सकों की अनुपलब्धता की दशा में शिशु रोग विशेषज्ञ / शिशु रोग में स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रभारी चिकित्सा अधिकारी.
4.	बहु-निःशक्तता	जिला चिकित्सालय / सिविल चिकित्सालय	वरिष्ठ विशेषज्ञ की अध्यक्षता में तथा संबंधित निःशक्तताओं से संबंध रखने वाले विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले चिकित्सकों से मिलकर बनने वाला एक ऐसा चिकित्सा बोर्ड जैसा कि किसी सिविल सर्जन/ मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी/जिला चिकित्सालय के प्रमुख द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए.
5.	वे निःशक्तताएं जो ऊपर सरल क्रमांक 1 एवं 2 में उल्लिखित नहीं की गई हैं.	जिला चिकित्सालय/ सिविल चिकित्सालय जहां विशेषज्ञ/ स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र में आवश्यक मापन/निर्धारण/मूल्यांकन सुविधाएं हों.	संबंधित निःशक्तताओं से संबंध रखने वाले विशेषज्ञ या स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंसा के पश्चात् प्रभारी चिकित्सा अधिकारी.

टिप्पणी.— उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में अनुक्रमांक 2 तथा 3 पर उल्लिखित प्रवर्गों के संबंध में यदि कॉलम (3) में उल्लिखित किसी चिकित्सालय में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि वाला कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं है तो ऐसे चिकित्सालय का प्रमुख पास के चिकित्सा महाविद्यालय से आवश्यक योग्यता रखने वाले, अन्य विशेषज्ञ की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा. यद्यपि अन्य विशेषज्ञ से सेवाएं लिये जाने की दशा में प्रमाण-पत्र केवल तभी वैध होगा जब कि जिला चिकित्सालय की दशा में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा स्वास्थ्य अधिकारी या अनुक्रमांक 2 तथा 3 के समक्ष ऊपर सरणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अन्य चिकित्सालय के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाए.

No. F 801-2013-17-Medi-2.—In pursuance of the provision of clause (p) of Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (No. 1 of 1996) the Government of Madhya Pradesh, hereby specifies, for the purpose of issue of certificate of disability as mentioned in clause(t) of the Section 2 of the Act, the hospitals and institutions mentioned in column (3) of the table given below for the type of disability mentioned in column (2) thereof, and further directs that the medical officer of the hospital/ institution as mentioned in column (4) shall be authorized to sign the disability certificate on behalf of the medical authority:—

TABLE

S.No.	Type of Disability	Hospital/Institution identified for issuing certificate of disabilities mentioned in Column (2)	Medical officer identified as "medical authority" who will be competent to issue certificate of disability in the hospitals/Institutions mentioned in Column (3)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Permanent disability of Upper Limbs/ Lower Limbs	District Hospital, Civil Hospital, Community Health Centre, Primary Health Centre, Civil Dispensary	In charge Medical Officer or Medical Officer nominated by him.
2.	Blindness	District hospital/Civil Hospital having Specialist in Ophthalmology/Post Graduate Medical Officer in Medicine in Ophthalmology and necessary measurement/assessment/ evaluation facilities.	Specialist in Ophthalmology/ post Graduate Medical Officers in Ophthalmology nominated by In Charge medical officer.
3.	Mental Disability	District Hospital/ Civil Hospital/ Community Health Centre.	In case of Adults, Specialist in Psychiatry/Post Graduate Medical Officer in Psychiatry. In case of unavailability of above mentioned Doctors In charge Medical Officer after the recommendation by Specialist in Medicine/Post Graduate Medical Officers in Medicine. In cases of person less than 14 years. Specialist in Psychiatry/Post Graduate Medical Officer in Psychiatry. In case of unavailability of above mentioned Doctors In Charge Medical Officers after the recommendation by Specialist in Pediatrics/Post Graduate Medical Officers in Pediatrics.

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Multiple Disabilities.	District hospitals/Civil hospital.	A Medical Board as may be specified by a Civil Surgeon/Chief Medical Health Officer/Head of the District Hospital, headed by a Senior Specialist, and consisting of Doctors with Post-graduate degree in the disciplines dealing with relevant disabilities.
5.	Disabilities not mentioned in serial number 1 and 2 above.	District Hospital/ Civil Hospital where Specialist/ Post Graduate Medical Officer and necessary, measurement/ assessment/evaluation facilities in relevant field.	In charge Medical Officer after recommendations by Specialist, or Post Graduate Medical Officer in the disciplines dealing with relevant disabilities.

Note.—In respect of categories mentioned at Serial Number 2 and 3 in column (2) of the table above, if in a Hospital, mentioned in column (3) a Doctor with a Post Graduate degree in the relevant discipline is not available, the Head of such Hospital may utilize the service of other specialist from a nearby medical collage and having requisite qualifications. However, in case of services taken from other specialist, the certificate will be valid only when countersigned by the Chief Medical Officer and Health Officer in case of District Hospitals or head of other hospitals mentioned in Column (2) of the table above against serial number 2 and 3.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.